अनुदान संख्या 71 - नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
GRANT No. 71 - MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

राजस्वः	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	32608,90,00	32608,94,00	23292,79,71	-9316,14,29
पूरक	Supplementary	4,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				8955,99,69
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original		17,45,00	6,38,69	-11,06,31
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				11,04,93

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3451"	Major Head "3451"				
सचिवालय – आर्थिक सेवाएँ	Secretariat - Economic Services				
मू.	O.	6979.00	6169.57	6167.93	-1.64
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	-810.43			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	145943.00			
पू.	S.	1.00	..	..	..
पु.	R.	-145944.00			
मुख्य शीर्ष "2810"	Major Head "2810"				
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा	New and Renewable Energy				
मू.	O.	3107968.00			
पू.	S.	2.00	2359124.74	2323111.78	-36012.96
पु.	R.	-748845.26			

(I) ₹145944.00 लाख का प्रावधान (मार्च, 2025 में प्राप्त किए गए ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) तीन शीर्षों के अंतर्गत पूरी तरह से अप्रयुक्त रहाः इसमें से ₹145444.00 लाख मुख्य शीर्ष "2552" – "नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा– ग्रिड इंटरएक्टिव और वितरित नवीकरणीय ऊर्जा" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गएः–

(का) "सौर ऊर्जा"– ₹144444.00 लाख; और

(खा) "जैव ऊर्जा कार्यक्रम" – ₹1000.00 लाख।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों में किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रह गया।

(II) मुख्य शीर्ष "3451" – "सचिवालय– नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय" के अंतर्गत ₹812.07 लाख की

(I) Provision of ₹145944.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in March, 2025) remained wholly unutilized under three heads: of these ₹145444.00 lakhs accounted for under Major Head "2552"- "New and Renewable Energy- Grid Interactive and Distributed Renewable Power"- under the following heads:-

(A) "Solar Energy"- ₹144444.00 lakhs; and

(B) "Bio Energy Programme" - ₹1000.00 lakhs.

Provision under the above two heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) Under Major Head "3451" - "Secretariat- Ministry of New and Renewable Energy" - saving of

बचत (मार्च, 2025 में प्राप्त किए गए ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹6980.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्थापना संबंधी व्ययों के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष "2810" के अंतर्गत बचत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:–

(का) "ग्रिड इंटरएक्टिव और वितरित नवीकरणीय ऊर्जा" –

(क) "सौर ऊर्जा" – ₹457927.28 लाख की बचत (मार्च, 2025 में प्राप्त किए गए ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹1478510.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पीजीसीआरटी योजना के लिए रूफ बंद किए जाने, कम प्रस्तावों की प्राप्ति, विज्ञापन, प्रचार और क्षमता निर्माण घटकों के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(ख) "जैव ऊर्जा कार्यक्रम" – ₹12267.13 लाख की बचत (₹27403.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) परियोजना के शुरू न होने, कम प्रगति/उपलब्धियों की वजह से राज्यों द्वारा कम निधियों की आवश्यकता होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(ग) "पवन एवं अन्य नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम"– ₹13448.36 लाख की बचत (₹78170.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) लघु जल विद्युत परियोजनाओं के अंतर्गत कम दावों की प्राप्ति, दस्तावेजों को प्रस्तुत न करने तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

₹812.07 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹6980.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in March, 2025) was due to requirement of less funds towards establishment related expenses and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(III) Under Major Head "2810" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Grid Interactive and Distributed Renewable Power" -

(a) "Solar Energy" - saving of ₹457927.28 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹1478510.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in March, 2025) was due to closure of roof to PGCRT scheme, receipt of less proposals, requirement of less funds towards advertisement, publicity and capacity-building components and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(b) "Bio Energy Programme" - saving of ₹12267.13 lakhs (against the sanctioned provision of ₹27403.00 lakhs) was due to non-commissioning of Project, requirement of less funds by states owing to less progress/achievements and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(c) "Programme for Wind and other Renewable Energy"- saving of ₹13448.36 lakhs (against the sanctioned provision of ₹78170.00 lakhs) was due to receipt of less claims under Small Hydropower Projects, non-submission of documents and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(घ) "सहायता कार्यक्रम" – ₹3601.53 लाख की बचत (₹19907.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसियों से दस्तावेज प्राप्त न होने तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(d) "Support Programme" - saving of ₹3601.53 lakhs (against the sanctioned provision of ₹19907.00 lakhs) was due to non-receipt of documents from programme implementing agencies and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(ङ) "हाइड्रोजन मिशन" – ₹55374.43 लाख की बचत (₹60000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन (एनजीएचएम) के तहत विभिन्न योजनाओं को मंजूरी न दिए जाने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(e) "Hydrogen Mission" - saving of ₹55374.43 lakhs (against the sanctioned provision of ₹60000.00 lakhs) was due to non-approval of various schemes under the National Green Hydrogen Mission (NGHM) and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(च) "भंडारण और पारेषण" – ₹20870.43 लाख की बचत (₹49840.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) योजना में संशोधन किए जाने संबंधी प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने की वजह से राज्यों को निर्गत न किए जाने के कारण हुई।

(f) "Storage and Transmission" - saving of ₹20870.43 lakhs (against the sanctioned provision of ₹49840.00 lakhs) was due to non-release to States owing to non-finalisation of proposals for modification of the scheme.

(खा) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना" –

(B) "Special Component Plan for Scheduled Castes" -

(क) "सौर ऊर्जा" – ₹5371.15 लाख की बचत (₹107422.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों से कम दावों की प्राप्ति के कारण हुई।

(a) "Solar Energy" - saving of ₹5371.15 lakhs (against the sanctioned provision of ₹107422.00 lakhs) was due to receipt of less claims from the state implementing agencies.

(ख) "पवन एवं अन्य नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम" – ₹5251.76 लाख की बचत (₹9000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(b) "Programme for Wind and other Renewable Energy" - saving of ₹5251.76 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9000.00 lakhs); and

(गा) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना" –

(C) "Tribal Area Sub-Plan" -

(क) "पवन एवं अन्य नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम" – ₹5867.67 लाख की बचत (₹10430.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(a) "Programme for Wind and other Renewable Energy" - saving of ₹5867.67 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10430.00 lakhs).

बचत उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत दस्तावेज प्रस्तुत न किए जाने और वित मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(ख) "सौर ऊर्जा" – ₹21607.27 लाख की बचत (₹108700.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों से दावे/पूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण हुई।

(ग) "भंडारण और संचरण" – ₹4522.81 लाख की बचत (₹5160.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) योजना में संशोधन संबंधी प्रस्तावों का वित्त मंत्रालय के पास लंबित होने के कारण हुई।

(घा) "आरक्षित निधियों का अंतरण – सॉवरेन ग्रीन फंड"– ₹178889.00 लाख की बचत (₹1139635.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(IV) तीन शीर्षों के अंतर्गत ₹984.79 लाख की बचत हुई, जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक परंतु ₹500.00 लाख से अधिक नहीं थी तथा स्वीकृत प्रावधान का 42 प्रतिशत से 65 प्रतिशत तक थी।

2. उपर्युक्त बचतें (₹981.39 लाख) पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से प्रयुक्त हो गईं, जैसा कि दिसंबर, 2024 में मुख्य शीर्ष "2810" – "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – ऑफ–ग्रिड/वितरित एवं विकेन्द्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा" के अंतर्गत ₹1.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹980.39 लाख था।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचत निम्नलिखित शीर्ष के अंतर्गत हुईः–

Saving under above two heads was due to non submission of documents and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(b) "Solar Energy" - saving of ₹21607.27 lakhs (against the sanctioned provision of ₹108700.00 lakhs) was due to non-submission of claims/completion documents from the State implementing agencies.

(c) "Storage and Transmission" - saving of ₹4522.81 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5160.00 lakhs) was due to proposals for modification of the scheme being pending with Ministry of Finance.

(D) "Transfer to Reserve Funds - Sovereign Green Fund"- saving of ₹178889.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1139635.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(IV) Under three heads savings of ₹984.79 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs but not exceeding ₹500.00 lakhs and constituting 42 percent to 65 percent of the sanctioned provision.

2. The above savings were partly (₹981.39 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to the Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹1.00 lakh in December, 2024 under Major Head "2810"- "Tribal Area Sub-Plan-Off-Grid/Distributed and Decentralized Renewable Power". Actual excess, however, was ₹980.39 lakhs.

3. In the capital section of the grant, savings occurred under the following head:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4810"	Major Head "4810"				
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on New and Renewable Energy				
मू.	O.	1200.00	450.55	449.49	-1.06
पु.	R.	-749.45			

(I) मुख्य शीर्ष "4810" – "नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम एवं अनुप्रयोग – कार्यालय भवन" के अंतर्गत ₹750.51 लाख की बचत (₹1200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कम निधियों की आवश्यकता होने तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(I) Under Major Head "4810" - "New and Renewable Energy Programmes and Applications - Office Buildings" - saving of ₹750.51 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1200.00 lakhs) was due to requirement of less funds by Central Public Works Department and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(II) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹355.80 लाख की बचत हुई, जो स्वीकृत प्रावधान का 65 प्रतिशत है।

(II) Under one head saving of ₹355.80 lakhs occurred constituting 65 percent of the sanctioned provision.